



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-08.01.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना कैन्ट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-422/2003 धारा 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त भेली मुसलमान पुत्र बसन्तू निवासी हुकुलगंज थाना कैन्ट कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैन्ट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-08.01.2025 को माननीय न्यायालय स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट/ASJ-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त भेली मुसलमान उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी